न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –44/2017 जिला सीकर

1. परताराम पुत्र धन्नाराम उम्र लगभग 46 वर्ष, जाति गूर्जर , निवासी गुरारा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
2. किशोर कुमार पुत्र धन्नाराम उम्र लगभग 38 वर्ष, जाति गूर्जर, निवासी गुरारा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थन)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)
2. उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)
3. पटवारी , पटवार हल्का गुरारा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर दिनांक 4.1.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री के.आर.शर्मा
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 6.2.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 4.1.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गुरारा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.09 एवं खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.87 के खातेदार हरनाथ, परताराम , दुर्गाराम, किशोर पि. धन्ना हि.1/2, भोपा पुत्र जीवण हि. 1/2 कौम गूर्जर एवं मूला पुत्र गणपत उर्फ गणा हि 1/8, हरनाथ ,परताराम , दुर्गाराम, किशोर पि. धन्ना हि. 7/8 थे । उक्त खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.09 एवं खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.01 रास्ते के काम आने के कारण तहसीलदार खण्डेला ने पत्र कमांकः भू.अ./2016/ 3283 दिनांक 27.12.2016 के साथ नक्शा , फर्द मौका रिपोर्ट एवं जमाबन्दी संलग्न् कर प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा करते हुये प्रकरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित किया गया । इस पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने आदेश कमांकःराजस्व/2016/प.म.–गुरारा/02 दिनांक 4.1.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के उक्त आदेश दिनांक 4.1.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 18.9.2017 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम गुरारा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1542 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.09 हैक्टेयर की खातेदारी अपीलान्ट्स एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है । विवादित भूमि के संबंध में उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष नियमित वाद उनवानी हरनाथ बनाम मदन लाल विचाराधीन है जिसमें

दिनांक 15.4.2011 को स्थगन आदेश पारित कर आराजी खसरा नम्बर 1348 पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी थी । विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद के विचाराधीन रहते एवं स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना नोटिस दिये पारित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ''क'' में स्पेसिफिक विशेष रूप से प्रावधान है कि अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना धारा 251 ''अ'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1352 के खातेदार को रास्ता उपलब्ध करवाने की नियत से कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''क'' का अवलोकन करना चाहिये था । यदि किसी खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251 ''क'' के अनुसार संबंधित उप खण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करके प्रचलित बाजार दर से दुगनी राशि पर रास्ता देने का प्रावधान दिया गया है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही गैर मुमकीन रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने परिपत्रों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि कानून में रास्ते के लिये विशेष प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ''अ'' में दिया हुआ है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव सरकार द्वारा पारित परिपत्र का नहीं पडता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश द्वारा गैर मुमकीन रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.09 एवं खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.01 रास्ते के काम आने के कारण तहसीलदार खण्डेला ने पत्र कमांकः भू.अ./2016/ 3283 दिनांक 27.12.2016 के साथ नक्शा , फर्द मौका रिपोर्ट एवं जमाबन्दी संलग्न् कर प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा करते हुये प्रकरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित किया गया । इस पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने आदेश कमांकः राजस्व/2016/प.म. गुरारा/02 दिनांक 4.1.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का है जो उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने तहसीलदार खण्डेला के प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर अपीलाधीन आदेश कमांकःराजस्व/2016/प.म.गुरारा/02 दिनांक 4.1.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में दावा विचाराधीन है जिसमें उनके हक हकूकों का निर्धारण होना है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित प्रस्ताव एवं अभिशंषा के साथ संलग्न् फर्म मौका रिपोर्ट में रास्ता प्रचलित रास्ते के रूप में 30–40 वर्षों से चालू होना एवं रास्ते से होकर आमजन का अवागमन करना तथा रास्ता सार्वजनिक आवागमन के रूप में चालू होना अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्रम गुरारा स्थित खसरा नम्बर 1598 एवं 1348 के रकबा 0.09 हैक्टेयर एवं 0.01 हैक्टेयर में से गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । विवादित भूमि के

संबंध में अपीलान्ट्स का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उनके हकों का निर्धारण होना है , ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर